

अप्रावली वि. सं. 24.1.23 को पेश

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24.1.23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे डाक पं. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



